रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 7 अक्तूबर, 1981/16 आश्विन, 1903

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक (नि-I) विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 1 अक्तूबर, 1981

संख्या का० वि० (नि० I)-बी (6) 1/77.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 154/हिमाचल प्रदेश/81, दिनांक 17 सितम्बर, 1981, हिमाचल सरकार के राजपत्र में आम सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

के. सी. पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

1851–राजपत्र-7-10-81—1048.

मूल्य : 20 पैसे ।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली,
तारीख: 17 सितम्बर, 1981

भाद्र 26, 1903 (शक)

अधिसूचना

सं0 154/हिमाचल प्रदेश/81.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से श्री पी0 पी0 श्रीवास्तव के स्थान पर श्री अनंग पाल, आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, उत्पाद शुल्क व कराधान) को उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख से अगले आदेशों तक हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है।

आदेश से,-
के0 गणेशन,
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

PERSONNEL (A-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla-2, *the* 1*st October*, 1981

No. PER (A-I)-B(6)-1/77.—The Election Commission of India's notification No. 154/HP/81, dated the 17th September, 1981 is hereby republished in the Himachal Pradesh Government Rajpatra for general information.

K. C. PANDEYA,
Chief Secretary.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Ashok Road,
New Delhi-110001.

Dated 17*th September*, 1981

Bhadra 26, 1903 (*Saka*)

NOTIFICATION

No. 154/HP/81.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Himachal Pradesh hereby nominates Shri Anang Pal, I.A.S., Commissioner and Secretary (Education, Industries, Tourism, Excise and Taxation) as the Chief Electoral Officer for the State of Himachal Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri P. P. Srivastava.

By order,
K. GANESAN,
Secretary.

आबकारी एवं कर विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 सितम्बर, 1981

संख्या ई0 एक्स0 ए0 सी0 (II)-10/80.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में जेजों बैरियर कर्मचारियों के लिए कार्यालय एवं निवास स्थान के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा उक्त भूमि के लिए आदेश लने का निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निर्देश देते हैं कि मामला अनिवार्य होने के कारण समाहर्ता भू-अर्जन, ऊना उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित नोटिस की तिथि से 15 दिनों की अवधि समाप्त होने पर परि-निर्णय दिये जाने पूर्व बंजर तथा कृषि योग्य भूमि पर कब्जा कर सकता है।

भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, ऊना के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकेगा।

भूमि का विनिर्देश

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं0	क्षेत्र	
				क0	म0
1	2	3	4	5	6
ऊना	ऊना	पोलियां बोट	6635/3045/1	4	8

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

ORDER

Simla-171002, *the 24th September*, 1981

No. FDS. E (5) 1/81.—The statutory order No. S.O. 617 (E) dated 1st August, 1981 published in the Gazette of India, Extra-ordinary Part II, Section 3, Sub-Section (*ii*) dated 1st August, 1981 is hereby republished in the Himachal Pradesh Rajpatra for information of the general public.

S. M. KANWAR,
Commissioner-cum-*Secretary*.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

ORDER

New Delhi, the 1st August, 1981

S.O. 617 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (*xi*) of clause (*a*) of section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby declares 'Power Threshers' to be an essential commodity for the purpose of the said Act.

[*File No.* 26 (8)/81-*ECR*]

SURESH KUMAR,
Joint Secretary to the Govt. of India.

भारत सरकार
नागरिक पूर्ति मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 1 अगस्त, 1981

का0 आ0 617 (डा0).—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'पावर थ्रैशरों' को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक वस्तु घोषित करती है।

[मिसिल सं0 26(8)/81-ई0सी0आर0]

सुरेश कुमार,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।